(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा वर्ष-वार किन-किन राज्यों और जिलों को पूर्णतया या आंशिक रूप से वाममार्गी चरमपंथ से प्रभावित माना गया है;

(ख) वाममार्गी चरमपंथ को कम करने और अन्तत: खत्म करने के लिए क्या उपाय हैं;

(ग) क्या आई. ए. पी. और वाममार्गी चरमपंथ के बीच किसी कार्य-कारण संबंध का पता चला है;

(घ) क्या सरकार पांचवीं अनुसूची के पैरा तीन के अंतर्गत संबंधित 9 राज्यों को अनुच्छेद 243 जी, डब्ल्यू और जेड डी, ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पठित और वामपंथी चरमपंथ को सुलझाने में पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड ऐरियाज) एक्ट पीइएसए को भी साधन के रूप में उपयोग करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित समझा जाता है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों को आंशिक रुप से प्रभावित समझा जाता है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को मामूली रुप से प्रभावित राज्य समझा जाता है। आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा निचले स्तर पर बनी हुई है। विगत तीन वर्षों ( 2009-2011) के संबंध में वामपंथी उग्रवादी हिंसा से प्रभावित जिलों का विवरण संलग्न है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 80% वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं भारत के लगभग 26 जिलों में होती हैं। ‘हिंसा से प्रभावित’ जिलों की कुल संख्या को इस समग्र परिदृश्य में देखना होगा।**

**(ख) वामपंथी उग्रवादी समस्या को कम करने तथा अंतत: उसे समाप्त करने संबंधी पूर्वाभास को अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक समयावधि में देखना होगा। भारत सरकार की नीति यह है कि विकास और सुरक्षापायों की द्विआयामी रणनीति इस स्थिति के निराकरण के लिए अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वनवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आदिवासियों की हकदारी तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जाता है। अन्य शब्दों में, यह बोध हुआ है कि इन क्षेत्रों में विकास एवं शासन संबंधी कमी को दूर करने की जरुरत है। इसलिए, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्य योजना जैसी योजनाओं एवं प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग पर जोर दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों में इस द्वि-आयामी नीति पर सर्वसम्मति है, तथापि, कार्यान्वयन के वास्तविक स्तर के मामले में राज्यों में भिन्नता हो सकती है।**

 **महत्वपूर्ण सुरक्षा एवं विकासोन्मुखी नीति के माध्यम से अल्पावधि में नए क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को फैलने से रोकने का प्रयास करना है। मध्यावधि में बुरी तरह प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों के प्रयासों को समेकित करने तथा ऐसे क्षेत्रों को उग्रवाद से मुक्त करने, उन पर नियंत्रण रखने एवं उनको विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए केन्द्रीय/राज्य बलों को अधिक संख्या में सेवा में लगाने की जरुरत होगी। जिसकी योजना चरणों में बनायी गई है। भविष्य में इस प्रयास को बनाए रखने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की आशा है। तथापि, जैसा कि स्पष्ट है सी पी आई (माओवादी) अपने बुनियादी लक्ष्य, स्कूली भवनों के अतिरिक्त सड़कों एवं मोबाइल टावरों जैसे विकास संबंधी अवसंरचना को चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य बना रहे हैं। अति सक्रिय विकास एजेंडे पर काम करने वाले जिला कलेक्टरों को लक्षित किया गया है और उनको अगवा किया गया है। लघु एवं मध्य अवधियों में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में इस चुनौती का सामना किया जाना है और इस पर काबू किया जाना है।**

 **दीर्घावधि में सी पी आई (माओवादी) की विचारधारा की निहित प्रकृति जिसमें हिंसा, हत्या, अवसंरचना को विनष्ट करने, नागरिकों को भी लक्षित करते हुए बारुदी सुरंगों का अंधाधुंध प्रयोग, यात्री ट्रेनों में तोड़फोड़ तथा नागरिक गैर वर्दीधारियों के व्यपहरण पर अधिक बल दिया गया है और ऐसे अन्य अत्याचारों से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में भी अपनी समाप्ति के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। निरंतर विकास एवं सुरक्षा उन्मुख नीति के अतिरिक्त इस महत्वपूर्ण तथ्य से वांछित परिणाम प्राप्त होने की आशा है।**

**(ग) एकीकृत कार्य योजना और वामपंथी उग्रवाद संबंधी समस्या के बीच कारण-प्रभाव के संबंध का आकलन इस स्तर पर अंकगणितीय संदर्भों में नहीं किया जा सकता है। एकीकृत कार्य योजना मुलत: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में विकास संबंधी कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के आशय का विवरण है। एकीकृत कार्य योजना में प्रमुख रुप से सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं, जो शीघ्र ही बोधगम्य है, के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। स्थायी प्रभाव के लिए इस प्रयास को अन्‍य विकास एवं प्रमुख स्कीमों के कार्यन्वयन के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी है। योजना आयोग द्वारा घनिष्ठ मोनिटरिंग के कारण एकीकृत कार्य योजना का कार्यन्वयन सभी दृष्टिकोणों से उत्कृष्ट से हैं। एकीकृत कार्य योजना इन क्षेत्रों में सरकार एवं स्थायी समुदायों के बीच विश्वास की कमी को दूर करने के लिए भी एक साधन है। यह उद्देश्य सर्वाधिक रुप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कुछ हद तक हासिल हुआ है जो जिला कलैक्टरों को निशाना बनाए जाने की सी पी आई (माओवादी) की कार्रवाई से स्पष्ट है - हाल ही में एक बारुदी सुरंग विस्फोट में बीजापुर, छत्तीसगढ़ के कलैक्टर की हत्या का प्रयास किया गया था तथा छत्तीसगढ़ में सुकमा के एक युवा और कर्मठ कलैक्टर का उनके द्वारा अपहरण किया गया है। इन आघातों के बावजूद सरकार इन विकास संबंधी प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।**

**(घ) और (ड.): इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि पंचायतें राज्य का विषय है, इसलिए पंचायती राज मंत्रालय के प्रयास संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार, पंचायतों को शक्तियां सौंपे जाने के समर्थन में तथा राज्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में रहे हैं। पी ई एस ए के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश सभी नौ v –अनुसूचित राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। पंचायती राज्य मंत्रालय ने भी, अनुसूची-v में यथा अधिदेशित राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट में पी ई एस ए के कार्यान्वयन तथा पी ई एस ए संबंधी क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के बारे में एक प्रमुख खण्ड को शामिल करने के संबंध में राज्यों को परामर्शी – पत्र जारी किए हैं।**

 **इसके अतिरिक्त, संविधान के भाग ix क के उपबन्धों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 13.9.1995 को कतिपय संसद सदस्यों तथा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। ग्राम सभाओं, नगर पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा शहरी अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित शक्तियों, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी प्रस्तावों से युक्त समिति की रिपोर्ट, “नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 2001 के उपबन्ध” 30.07.2001 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया। तत्पश्चात् उक्त विधेयक शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया, जिसने नवम्बर, 2003 में अपनी सिफारिशें संसद को सौंपी। चूंकि इनमें से कुछ सिफारिशें जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि से संबंधित थीं इसलिए उक्त रिपोर्ट इन मंत्रालयों को परिचालित की गई तथा उनकी टिप्पणियां प्राप्त की गईं। तत्कालीन सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में 11 जून, 2010 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं मंत्रालय के प्रतिनिधियों और अनुसूचित क्षेत्रों वाले 9 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान स्थायी समिति की सिफारिशें इस अनुरोध के साथ राज्यों को परिचालित की गईं कि वे अपनी टिप्पणियां दें। इस मामले में, राज्यों के साथ आगे परामर्श चल रहा है।**

**अनुलग्नक**

**विगत तीन वर्षों (2009-2011) में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा से प्रभावित जिले**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **राज्य** | **2009** | **2010** | **2011** |
| **आंध्र प्रदेश** | **अदिलाबाद** | **अदिलाबाद** | **खम्माम** |
|  | **कुडापा** | **पूर्वी गोदावरी** | **करीमनगर** |
|  | **पूर्वी गोदावरी** | **गुन्टुर** | **रंगारेड्डी** |
|  | **करीम नगर** | **खम्माम** | **विशाखापट्टनम** |
|  | **खम्माम** | **करीमनगर** | **वारंगल** |
|  | **प्रकाशम** | **प्रकाशम** | **पूर्वी गोदावरी** |
|  | **विशाखपट्टनम** | **विशाखपट्टनम** | **-** |
|  | **विजयानगरम्** | **विजयानगरम्** | **-** |
|  | **वारंगल** | **वारंगल** | **-** |
|  |  |  |  |
| **बिहार** | **अरवल** | **अरवल** | **अरवल** |
|  | **औरंगाबाद** | **औरंगाबाद** | **औरंगाबाद** |
|  | **बांका** | **बांका** | **बांका** |
|  | **बेगूसराय** | **बेगूसराय** | **बेगूसराय** |
|  | **पूर्वी चम्पारण**  | **भागलपुर** | **भोजपुर** |
|  | **गया**  | **भोजपुर** | **पूर्वी चम्पारण** |
|  | **जमुई**  | **बक्सर** | **गया** |
|  | **जहानाबाद** | **दरभंगा** | **जमुई** |
|  | **कैमूर** | **पूर्वी चम्पारण** | **जहानाबाद** |
|  | **खगडि़या** | **गया** | **कैमूर** |
|  | **लखीसराय** | **गोपालगंज** | **मुंगेर** |
|  | **मुंगेर** | **जमुई़** | **मुजफ्फरपुर** |
|  | **मुजफ्फरपुर** | **जहानाबाद** | **पटना** |
|  | **नवादा** | **कैमूर** | **रोहताश** |
|  | **पटना** | **कटिहार** | **सारण** |
|  | **रोहताश** | **खगड़िया** | **शिवहर** |
|  | **सारण** | **लखीसराय** | **सीतामढ़ी** |
|  | **सहरसा** | **मुंगेर** | **पश्चिमी चम्पारण** |
|  | **शिवहर** | **मुजफ्फरपुर** | **-** |
|  | **सीतामढ़ी** | **नालंदा** | **-** |
|  | **सिवान** | **नवादा** | **-** |
|  | **वैशाली** | **पटना** | **-** |
|  | **-** | **रोहताश** | **-** |
|  | **-** | **सारण** | **-** |
|  | **-** | **शिवहर** | **-** |
|  | **-** | **सीतामढ़ी** | **-** |
|  | **-** | **सिवान** | **-** |
|  | **-** | **वैशाली** | **-** |
|  |  |  |  |
| **छत्तीसगढ़** | **बस्तर** | **बस्तर** | **बस्तर** |
|  | **बीजापुर** | **बीजापुर** | **बीजापुर** |
|  | **दंतेवाड़ा** | **दंतेवाड़ा** | **दंतेवाड़ा** |
|  | **धमतरी** | **दुर्ग** | **दुर्ग** |
|  | **जसपुर** | **जसपुर** | **धमतरी** |
|  | **कांकेर** | **कांकेर** | **जसपुर** |
|  | **कोरिया** | **महासमुंद** | **कांकेड़** |
|  | **नारायणपुर** | **नारायणपुर** | **नारायणपुर** |
|  | **रायगढ़** | **रायपुर** | **रायपुर** |
|  | **रायपुर** | **राजनंदगांव** | **राजनंदगांव** |
|  | **राजनंदगांव** | **सरगुजा** | **रायगढ़** |
|  | **सरगुजा** | **-** | **सरगुजा** |
|  |  |  |  |
| **झारखंड़** | **बोकारो** | **बोकारो** | **बोकारो** |
|  | **चतरा** | **चतरा** | **चतरा** |
|  | **देवघर** | **देवघर** | **दुमका** |
|  | **धनबाद** | **धनबाद** | **धनबाद** |
|  | **दुमका** | **दुमका** | **पूर्वी सिंहभूम** |
|  | **पूर्वी सिंहभूम** | **पूर्वी सिंहभूम** | **गढ़वा** |
|  | **गढ़वा** | **गढ़वा** | **गिरिडीह** |
|  | **गिरिडीह**  | **गिरिडीह**  | **गुमला** |
|  | **गुमला** | **गुमला** | **हजारीबाग** |
|  | **हजारीबाग** | **हजारीबाग** | **खूंटी** |
|  | **खूंटी** | **खूंटी**  | **कोडरमा** |
|  | **कोडरमा** | **लातेहर** | **लातेहर** |
|  | **लातेहर** | **लोहरदुगा** | **लोहरदुगा** |
|  | **लोहरदुगा** | **पलामू** | **पलामू** |
|  | **पाकूर** | **रामगढ़** | **पाकूर** |
|  | **पलामू** | **रांची** | **रामगढ़** |
|  | **रामगढ़** | **सरायकेला –खरसवान** | **रांची** |
|  | **रांची** | **सिमडेगा** | **सिमडेगा** |
|  | **सरायकेला-खरसवान** | **पश्चिमी सिंहभूम** | **सरायकेला-खरसवान** |
|  | **सिमडेगा** | **-** | **साहेबगंज** |
|  | **पश्चिमी सिंहभूम** | **-** | **पश्चिमी सिंहभूम** |
|  |  |  |  |
| **मध्य प्रदेश** | **बालाघाट** | **बालाघाट** | **सिंगरोली** |
|  | **-** | **-** | **बालाघाट** |
|  |  |  |  |
| **महाराष्ट्र** | **गढ़चिरौली** | **गढ़चिरौली** | **गढ़चिरौली** |
|  | **गोंडिया** | **गोंडिया** | **गोंडिया** |
|  |  |  |  |
| **ओडिशा** | **देवघर** | **बाड़गढ़** | **बाड़गढ़** |
|  | **धेंगकनाल** | **गजपति** | **बोलनगीर** |
|  | **गजपति** | **गंजम** | **गजपति** |
|  | **गंजम** | **जाजपुर** | **गंजम** |
|  | **कंधमाल** | **कालाहांडी** | **जाजपुर** |
|  | **क्योझार** | **कंधमाल** | **कंधमाल** |
|  | **कोरापुट** | **क्योझार** | **क्योझार** |
|  | **मलकानगिरी** | **कोरापुट** | **कालाहांडी** |
|  | **मयूरभंज** | **मलकानगिरी** | **कोरापुट** |
|  | **नुआपाडा** | **मयूरभंज** | **मलकानगिरी** |
|  | **रायगडा** | **नबारंगपुर** | **मयूरभंज** |
|  | **सम्बलपुर** | **नुआपाड़ा** | **नुआपाड़ा** |
|  | **सुदंरगढ़** | **रायगडा** | **नबरंगपुर** |
|  | **-** | **सुंदरगढ़** | **रायगाडा** |
|  | **-** | **-** | **सुंदरगढ़** |
|  | **-** | **-** | **संबलपुर** |
|  |  |  |  |
| **उत्तर प्रदेश** | **चंदौली** | **चंदौली** | **पीलीभीत** |
|  | **सोनभद्र** | **सोनभद्र** | **-** |
|  | **-** | **पीलीभीत** | **-** |
|  |  |  |  |
| **पश्चिम बंगाल** | **बांकूरा** | **बांकूरा** | **बांकूरा** |
|  | **मालदा** | **बीरभूम** | **पुरुलिया** |
|  | **मुर्शीदाबाद** | **मुर्शीदाबाद** | **पश्चिमी मिदनापुर** |
|  | **पुरुलिया** | **पुरुलिया** | **-** |
|  | **पश्चिमी मिदनापुर** | **पश्चिमी मिदनापुर** | **-** |